प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 65/2009

अपीलकर्ता : रुपेश कुमार

(जेल में)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश के निर्णय सुनाने हेतु मामला दिनांक 24 फरवरी 2009 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही

श्री टी.पी. शर्मा

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 65/2009

अपीलकर्ता : रुपेश कुमार, पिता श्री निश्चलदास चांचलानी,

(जेल में) आयु लगभग 32 वर्ष,

व्यवसाय: किराना दुकान एवं मार्केटिंग व्यवसाय,

निवासी: सदर बाजार, नागपुर (महाराष्ट्र),

वर्तमान में निवासी: देवपुरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना- नया राजेन्द्र नगर,

रायपुर ।

(दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन)

उपस्थित :

- **श्री बी.पी. शर्मा**, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
-
- **श्री समीर बेहार**, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

[एकल पीठ न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा]

निर्णय

(24 फरवरी, 2009 को प्रदत्त)

1. वर्तमान अपील, अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 70/2008 में दिनांक 31-12-2008 को पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय में माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहपठित धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अपीलकर्ता/अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बलात्संग के प्रयास सम्बंधित आरोप को सिद्ध करने हेतु किसी भी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य की पूर्ण अनुपस्थिति के बावजूद अपीलकर्ता को दोष सिद्ध किया अवं दंडादेश दिया इस प्रकार अवैधता कारित किया है |

3. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, इस प्रकार है कि दिनांक 30-09-2007 को सुबह लगभग 9 बजे, 8 वर्षीय अभियोक्त्री, निर्माणाधीन घर के पास खेल रही थी। तभी आरोपी उसके पास गया, उसे एक खाली कमरे में ले गया, खुद को और अभियोक्त्री को निर्वस्त्र किया, उसे जमीन पर लिटाया और उसके साथ बलात्संग करने का प्रयास कर रहा था। जब अपीलकर्ता/अभियुक्त , अभियोक्त्री को कक्ष की ओर ले जा रहा था, तब टाकेश्वर (अ.सा.-4) ने आपत्ति उठाई , और तुरंत अभियोक्त्री के भाई आशा राम (अ.सा.-3) को सूचित किया। इसके परिणामस्वरूप, आशा राम (अ.सा.-3), टाकेश्वर (अ.सा.-4) और मंतराम घटना स्थल पर पहुंचे , और देखा कि आरोपी अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। आशाराम (अ.सा.-3) द्वारा तुरंत रिपोर्ट

दर्ज कराई गई, जिसे देहाती नालिशी प्रदर्श पी.-2 के रूप में अभिलिखित किया गया, तथा उक्त देहाती नालिशी के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-5 दर्ज किया गया। अभियोक्त्री को चिकित्सीय जांच के लिए प्रदर्श पी.-6 के माध्यम से भेजा गया, और डॉक्टर ने उसकी जांच की। अभियोक्त्री को कोई चोट नहीं आई थी। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास अभी हुआ था; हायमेन अक्षुण्ण अवस्था में पाया गया; योनि पर किसी प्रकार की आंतरिक चोट नहीं थी तथा योनि मार्ग में एक अंगुली का प्रवेश भी संभव नहीं था। तथापि, चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री की योनि से दो स्लाइडें तैयार कर पुलिस को दिया गया । अपीलकर्ता/अभियुक्त प्रदर्श पी.-11 के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ डॉ. वी. दत्ता (अ.सा.-1) ने प्रदर्श पी.-1 के माध्यम से परीक्षण कर यह राय दी कि अपीलकर्ता/अभियुक्त लैंगिक संभोग करने में सक्षम है। स्थल मानचित्र का नक्शा प्रदर्श पी.-3 के माध्यम से तैयार किया गया। साथ ही जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.-9 एवं प्रदर्श पी.-10 को प्रदर्श पी.-8 के माध्यम से जप्त किया गया।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4.विवेचना (जांच) पूर्ण होने के बाद, आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को भेजा।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्ध को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल छः साक्षियों का परीक्षण किया गया। अपीलकर्ता/अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमे उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त परिस्थितियों का प्रतिवाद करते हुए निर्दोषता का अभिवाक किया एवं झूठे रूप से फँसाए जाने का प् अभिवाक किया। प्रतिरक्षा के पक्ष में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा डॉ. एम.के. साहू (ब.सा.-1) तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के भाई पवन चंचलानी (ब.सा.-2) को परीक्षित

कराया गया, जिन्होंने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी, विगत काल में शराब के सेवन के परिणामस्वरूप उत्पन्न मनोविकार से ग्रस्त रहा है, जिसके कारण उसे मेकाहारा चिकित्सालय में भर्ती किया गया था एवं तत्पश्चात् उसे अभिलेख प्रदर्श डी-1 के अनुसार छुट्टी प्रदान किया गया।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन कियाI

7. अपीलकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, श्री बी.पी. शर्मा के द्वारा यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता/अभियुक्त रुपेश चंचलानी मनोविकार से ग्रस्त एक मरीज है और उसका इलाज डॉ. एम.के. साहू के अधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दिनांक 30-01-2008 से 02-02-2008 तक चल रहा था। अपीलकर्ता/अभियुक्त शराब पर निर्भरता से ग्रस्त बताया गया है तथा शराब से प्रेरित मनोविकृति का इतिहास अभियोजन द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है| विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के विरुद्ध धारा 376 सहपठित धारा 511 भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग के प्रयास का अपराध सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है अपितु, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त, जिसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है, उसने एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय है, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क रखा है की अपीलकर्ता ने पूर्व में दिनांक 01-10-2007 से 04-01-2008 तक तथा तत्पश्चात दिनांक 31-12-2008 से आज तक, अर्थात कुल लगभग 4 महीने और 12 दिन की अवधी तक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। अपने तर्क के समर्थन में, **उन्होंने अमन कुमार और अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य**[1] के[1] मामले पर निर्भरता जताया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया की बलात्संग के प्रयास का अपराध अभद्र हमले से अलग होता है। अक्सर अभद्र हमलों को बलात्संग के प्रयास के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसलिए, न्यायालयों को साक्ष्य की सूक्ष्मता से परीक्षण कर निर्णय लेने की आवश्यकता है।इसके अतिरिक्त, **भुरजी पिता कुम्भा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले पर भी निर्भरता जताया गया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना था कि यौन संबंध के लिए अभियोक्त्री को खींचना और उसके कपड़े हटाने की कोशिश करना बलात्संग के प्रयास का अपराध नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य एक महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करके महिला की लज्जा भंग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्ति-युक्त संदेह से परे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री और अन्य साक्षियों का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करने वाला है और विश्वासपात्र है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने केवल अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वास्तव में, उसने उसके साथ बलात्संग का प्रयास किया था।इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने **विष्णु विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[3] के मामले का अवलंब लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना था कि जब अभियोक्त्री और अपीलकर्ता/अभियुक्त को निर्वस्त्र अवस्था में पाया गया और अपीलार्थी अभियोक्त्री के ऊपर

---

[1](2004) 4 SCC 397

2 2007 (1) M.P.L.J. 600

था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

9. पक्षकारों के तर्कों का मूल्यांकन करने और विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता स्थापित करने के लिए मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया

10. अभियोक्त्री (बालिका) की आयु लगभग 8 वर्षीय है, जिस पर बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। न्यायालय ने अभियोक्त्री की आयु 8 वर्षीय माना है I अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने अपने बयान में बताया है कि घटना के समय, वह नारियल का तेल खरीदने के लिए दुकान पर जा रही थी, तभी अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और उसे एक कक्ष में ले गया, जहाँ उसने उसकी अंतर्वस्त्र उतार दी और उसे भूमि पर लेटा दिया। उसी समय, उसका भाई आशा राम घटनास्थल पर आ गया, जिसके उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया। तत्पश्चात, पुलिस ने उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोजन (अ.सा.-4) टाकेश्वर ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन, जब वह एक दुकान से लौट रहा था, तो उसने अपीलार्थी/अभियुक्त को अभियोक्त्री को एक घर की ओर घसीटते हुए देखा। जब उसने आपत्ति जताई, तो अभियुक्त ने उसे डांटा, तत्पश्चात वह अभियोक्त्री/अभियोक्त्री के भाई, आशा राम को सूचित करने हेतु दौड़ा । इसके बाद, वह आशा राम और मंतराम के साथ तुरंत उक्त घर की ओर गए, जहाँ उन्होंने अभियुक्त और अभियोक्त्री को निर्वस्त्र अवस्था में पाया, और तत्काल अभियुक्त को पकड़ा।

12.आशाराम (अ.सा.-3),ने अभिसाक्ष्य दिया है कि टाकेश्वर (अ.सा.-4) द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि एक व्यक्ति अभियोक्त्री को एक घर की ओर ले गया है, वह टाकेश्वर के साथ

तुरंत वहाँ गया। मौके पर पहुँचने पर, उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता/अभियुक्त और अभियोक्त्री अधोवस्त्रहीन थे, और अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अभियोक्त्री को फर्श पर लिटा रखा था और उस पर लेटने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी-2 में है। पुलिस ने,घटनास्थल का स्थल मानचित्र प्रदर्श पी-3 तैयार किया|उसने अपनी बहन की चिकित्सीय जाँच के लिए अपनी सहमति (प्रदर्श पी .-4) दी थी |

13. सुशील कुमार (अ.सा.-5), प्रधान आरक्षक, और शशि मोहन सिंह (अ.सा.-6), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.एम. सुरक्षा, ने विवेचना के तथ्यों की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. डॉ. वी. दत्ता (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने प्रदर्श पी.-1 के माध्यम से अपीलकर्ता/अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच की और यह राय दी कि अपीलकर्ता/अभियुक्त लैंगिक संभोग बनाने में सक्षम था। दूसरी ओर, अभियोक्त्री की जाँच डॉ. सरोज गांधर्व द्वारा प्रदर्श पी.-6 के माध्यम से की गई थी। परन्तु, अभियोजन पक्ष ने उक्त चिकित्सा अधिकारी को एक गवाह के रूप में परीक्षित नहीं किया जबकि उसके द्वारा दिए गए चिकित्सीय प्रतिवेदन में यह दर्ज है कि अभियोक्त्री के शरीर या योनि पर कोई चोट नहीं पाई गई। प्रतिवेदन के अनुसार अभियोक्त्री का हाइमन (योनिच्छद) अक्षुण्ण था, उसके द्वितीयक यौन लक्षण अविकसित थे, और उसकी योनि में एक उंगली भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये निष्कर्ष इस तथ्य को इंगित करते हैं कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग या लैंगिक संभोग नहीं किया गया था।

15. अपीलकर्ता /अभियुक्त , अभियोक्त्री (अ.सा.-2) से पूर्व परिचित नहीं था यह बयान अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने अपने प्रति-परीक्षण के कंडिका 2 में स्वीकार किया। हालांकि, अभियुक्त ने पूर्व में उसे चॉकलेट और बिस्किट दिए थे, और उसके साथ बच्चों जैसा स्नेहपूर्ण

व्यवहार किया था। घटना के दिन, अभियुक्त उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था, जबकि संबंधित परिसर में निर्माण कार्य प्रगति पर था। उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह न्यायालय के समक्ष झूठा बयान दे रही है।

16. अपीलकर्ता /अभियुक्त और अभियोक्त्री एक कमरे में मौजूद पाए गए थे जिसमें कोई दरवाजा नहीं था यह बयान आशा राम (अ.सा.-3) ने अपनी प्रति-परीक्षण के कंडिका 4 में दिया है। उन्होंने कंडिका 6 में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने स्थानीय लोगों और पुलिस को भी बुलाया था, जब पुलिस आई तो अभियुक्त चिल्लाया और बाथरूम के अंदर चला गया, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस ने उसे बाथरूम से बाहर निकाला और उसे पुलिस थाने ले गई |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलकर्ता /अभियुक्त का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था, यह बयान टाकेश्वर (अ.सा.-4) ने अपने प्रति-परीक्षण के कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है । उन्होंने कंडिका 5 में यह भी स्वीकार किया कि जब पुलिस पहुँची, तो अपीलकर्ता/अभियुक्त ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता/अभियुक्त ने उसके अंत:वस्त्र हटा दिए और उसे भूमि पर लेटाया, उसी समय उसका भाई वहाँ आया। अभियोक्त्री के भाई आशा राम (अ.सा.-3) और टाकेश्वर (अ.सा.-4) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अपने और अभियोक्त्री के भी वस्त्र उतार दिए थे और उसे भूमि पर लिटाने के पश्चात वह उसके ऊपर बैठने की स्थिति में था। आशा राम (अ.सा.-3) जिसने देहाती नालिशी दर्ज कराया है ने देहाती नालिशी प्रदर्श पी.-2 में विशेष रूप से कहा है कि जब वह कमरे के अंदर गया, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता /अभियुक्त और अभियोक्त्री , निर्वस्त्र स्थिति में पाए गए । अभियोक्त्री को ज़मीन पर लेटाने के बाद, अपीलकर्ता /अभियुक्त उसके ऊपर बैठ गया था और उसके साथ बलात्संग करने की

कोशिश कर रहा था। देहाती नालिशी प्रदर्श पी.-2 में दिए गए अपने कथन का समर्थन आशा राम (अ.सा.-3) ने किया है। टाकेश्वर (अ. सा.-4) ने आशा राम (अ. सा.-3) के कथन की संपुष्टि की है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2), जो एक अवयस्क किशोरी है तथा जिसकी आयु लगभग आठ वर्षीय है, उसने नहीं कहा है की कि अपीलार्थी पूर्णतः नग्नावस्था में नहीं था, अथवा उसने अभियोक्त्री के वस्त्र उतारने का कोई कृत्य नहीं किया था, तथा वह अभियोक्त्री के ऊपर बैठने का प्रयास नहीं कर रहा था।

18. अमन कुमार (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्संग के प्रयास और अभद्र हमले से संबंधित मामले पर निर्णय करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि कई बार अभद्र हमलों को बलात्संग के प्रयास के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय को साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। निर्णय के कंडिका 10 और 11 इस प्रकार हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 10. अपराध का प्रयास एक कृत्य या कृत्यों की एक शृंखला है, जो अनिवार्य रूप से अपराध को जन्म देती है, जब तक कि कोई ऐसी घटना न घट जाए जिसकी कर्ता ने न तो कल्पना की थी और न ही उसका इरादा था। प्रयास को एक आपराधिक योजना के आंशिक-निष्पादन में किए गए कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो केवल तैयारी से अधिक है, लेकिन वास्तविक पूर्णता से कम है, और जिसमें, पूर्णता में विफलता को छोड़कर, वास्तविक अपराध के सभी तत्व मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, प्रयास में अपराध करने का इरादा शामिल होता है, जो उसके वास्तविक निष्पादन से कम होता है। इसलिए इसे उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो, यदि रोका न जाता तो, किए गए प्रयास के पूर्ण उपभोग में परिणत होता। धारा 511 में दिए

गए दृष्टांत स्पष्ट रूप से एक मात्र तैयारी और एक प्रयास के मामलों के बीच अंतर करने के विधायी इरादे को दर्शाते हैं।

11. किसी अभियुक्त को बलात्संग के प्रयास के आशय का दोषी ठहराने के लिए, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि अभियुक्त ने जब अभियोक्त्री को पकड़ा, तो उसने न केवल अपनी कामवासना को उसकी देह पर शांत करना चाहा , बल्कि उसका आशय (इरादा) हर हाल में , और उसके किसी भी प्रतिरोध के बावजूद ऐसा करने का था। अभद्र हमलों को अक्सर बलात्संग के प्रयास के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त का आचरण किसी भी कीमत पर और सभी प्रतिरोधों के बावजूद अपनी वासना को पूरा करने के दृढ़ संकल्प का सूचक था, पर्याप्त सामग्री मौजूद होनी चाहिए। आस - पास की परिस्थितियाँ कई बार इस पहलू पर प्रकाश डालती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. 'भुरजी' (पूर्वोक्त) के मामले में, अभियुक्त ने अपने कपड़े नहीं उतारे थे, अपितु केवल अभियोक्त्री के वस्त्र उतारने का प्रयास किया था, जिसमें वह असफल रहा । किंतु, वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने अपने कपड़े उतार दिए और अभियोक्त्री के भी कपड़े उतार दिए और उसे ज़मीन पर लिटाकर, वह उसके ऊपर बैठा था। 'इस प्रकार, स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रकरण के तथ्य 'भुरजी' (पूर्वोक्त) के प्रकरण से सारत: भिन्न हैं।

20. अपराध करने का आशय और अपराध करने का प्रयास, न्यायिक दृष्टि से, भिन्न और स्पष्ट रूप से अलग अवधारणाएँ हैं। आशय अपराध संपन्न करने की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। सामान्यत: किसी अपराध में प्रथम, अपराध करने का आवश्यक आशय ; द्वितीय, उस आशय को पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक तैयारी; और तृतीय, वास्तविक अपराध करने का प्रयत्न होता है । जब तृतीय चरण प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो अपराध पूर्ण माना जाता है। अपराधी सबसे पहले आवश्यक मानसिकआशय रखता है, तत्पश्चात तैयारी करता है और उसके बाद अपराध को क्रियान्वित करने का प्रयत्न आरंभ करता है। यदि प्रयास सफल हो जाता है, तो अपराध संपन्न होता है; यदि प्रयास किसी बाह्य कारणवश विफल रहता है, तो इसे 'अपराध करने का प्रयास' माना जाएगा। अपराध करने का प्रयास उस समय प्रारंभ माना जाएगा जब अपराध की पूर्व तैयारी पूरी हो जाए और अभियुक्त आवश्यक आशय के साथ ऐसा कृत्य आरंभ करे जो सीधे अपराध के संपादन की दिशा में अग्रसर हो। जिस क्षण अभियुक्त ऐसा कृत्य आवश्यक आशय के अनुरूप आरंभ करता है, उसी क्षण अपराध करने का प्रयास प्रारंभ करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान प्रकरण में ,अपीलकर्ता, अभियोक्त्री को कमरे के भीतर एक एकांत स्थान पर ले गया, जहाँ उसने अपने और अभियोक्त्री के वस्त्र उतार दिए। उसे फर्श पर लिटाने के बाद, अपीलकर्ता ने खुद को उसके ऊपर बैठाने का प्रयास किया, तभी उसे अभियोक्त्री के भाई और अन्य साक्ष्यों द्वारा पकड़ लिया गया। घटनाओं का यह क्रम दर्शाता है कि बलात्संग के अपराध को करने के आवश्यक आशय के साथ, अपीलकर्ता ने खुद को और अभियोक्त्री को निर्वस्त्र करके तैयारी के कदम उठाए, और उसे फर्श पर लिटाने के बाद, उस पर बैठने का प्रयास किया। यदि अभियोक्त्री के भाई और अन्य साक्ष्यों द्वारा उसे रोका न गया होता, तो बलात्संग का अपराध संभवत: पूर्ण हो गया होता। इसलिए, इस मामले के तथ्य यह इंगित करते हैं कि अपीलकर्ता/अभियुक्त ने केवल एक महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास नहीं किया,

बल्कि उसने बलात्संग का प्रयास करने का कार्य किया। यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में, अभद्र हमले के कृत्य से बलात्संग के प्रयास के रूप में संशोधित नहीं किया गया है|

22. अभियोक्ता और साक्षियों के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करने वाला और विश्वसनीय हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है।

23. मनोविकृति या अपीलकर्ता/अभियुक्त की कथित असामान्य मानसिक स्थिति के संबंध में, डॉ. एम.के. साहू (ब. सा.-1) ने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि, जबकि मनोविकृति से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः सही और गलत में भेद करने में अक्षम होगा, उन्होंने जांच करने पर अपीलकर्ता में केवल चिंता के लक्षण पाए और किसी भी मनोविकृति के कोई सबूत नहीं मिले। यह दर्शाता है कि अपराध करते समय, अपीलकर्ता/अभियुक्त असामान्य नहीं था और वह किसी भी मनोविकृति से पीड़ित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24.अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन के उपरांत अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत, सहपठित धारा 511 के संदर्भ में, दोषी ठहराया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि कानून की दृष्टि में स्थिर रखी जाती है |

25. दण्ड से सम्बंधित प्रश्न के विषय में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी/अभियुक्त पर पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 1,000 /- का अर्थदंड अधिरोपित किया है, जिसके व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आपराधिक मामलों में दंडादेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और न्यायालयों को इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार

करना चाहिए। **सुशील मुर्मू बनाम झारखंड राज्य**[4] के मामलें में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंडादेश के निर्धारण के लिए सुसंगत विचारों को इंगित किया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का व्यक्तित्व, जैसा कि उसकी आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियां जिनसे उसका सामाजिक व नैतिक स्वरुप परिलक्षित होता है एवं उसके पुनर्वास की संभाव्यता दंड निर्धारण की प्रक्रिया में अनिवार्यता प्रधान करक के रूप में संज्ञान ली जानी चाहिए । एक न्यायाधीश को अपराधी के व्यक्तित्व को परिस्थितियो स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ संतुलित करना होता है और उचित दंडादेश का चयन करना होता है। उच्चत्तम न्यायालय पुनः, **देवनारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[5] (कंडिका 8) के मामलें में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दिया गया दंडादेश न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए न तो असंगत रूप से कम होना चाहिए। न्यायालय को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका, अभियुक्त की आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, दंडादेश देने के लिए न्यायालय को विधि द्वारा प्रदत्त विवेक का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपराधी के व्यक्तित्व व परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाये रखे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. इस प्रकरण में, अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जब उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त को पकड़ा, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के पहुँचने पर, अपीलार्थी/अभियुक्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया अन्ततः बाद में स्वयं को स्नानगृह में बंद कर लिया। तत्पश्चात्, पुलिस को अभियुक्त को बाहर निकालने के लिए स्नानगृह का दरवाजा तोड़ना पड़ा। अपीलार्थी/अभियुक्त का यह आचरण उसके मनोवैज्ञानिक तनाव का संकेत देता है। अपीलार्थी की आयु लगभग 31 वर्ष है। जिन परिस्थितियों में बलात्संग के प्रयास का अपराध किया गया था, उस पर विचार करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। और बलात्संग के अपराध के लिए निर्धारित

न्यूनतम दंडादेश का 50%, अर्थात् सात वर्ष का आधा, और उसके साथ जुर्माना, इस मामले में एक पर्याप्त और न्यायोचित दंड होगा।

27. उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। तथापि, अपीलार्थी/अभियुक्त के दंडादेश में संशोधन किया जाता है। पूर्व में अधिरोपित पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु.1,000/- के जुर्माने के स्थान पर, अपीलार्थी/अभियुक्त को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 1,000/- का जुर्माना अदा करने का दंडादेश दिया जाता है। उक्त जुर्माने के भुगतान में विफल रहने की स्थिति में, अपीलार्थी/अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

श्री टी.पी. शर्मा

न्यायधीश

[4] AIR 2004 SC 395

[5]2004 (7) SCC 257

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Shikha Kaushik

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur